न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2024 / 201**
दायरा तिथि : 14.06.2024
आदेश तिथि : 28-10-2025
प्रार्थी :–

हिम्मतराम पुत्र धनाराम जाति मेगवंशी निवासी बीजापुर तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

मेहबूब खां पुत्र गनी खां जाति मुसलमान निवासी बीजापुर तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक:28-10-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 949 रकबा 0.8100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 953 रकबा 0.9200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1438 दिनांक 27.08.2024 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु वर्तमान में आस पास स्थित खसरों से ही आना जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
	953	0.92	न.दो.	102X5=510 वर्गमीटर	मेहबूब खां पुत्र गनी खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार

4. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 531222/– रूपये प्रति हैक्टर
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

अन्य विकल्प :–

1. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	959	0.27	न.दो.	52X5=260 वर्गमीटर	बाबू खां पुत्र गनी खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार
	952	0.91	न.दो.	50X5=250 वर्गमीटर	1. फैंसीदेवी पत्नी सोहनलाल 1/4 जाति माली सा. बाली 2. लीलादेवी पत्नी देवाराम 1/4 3. श्रवणकुमार पुत्र देवाराम 1/4 जातिगण जांगिउ ब्राह्मण सा. देह खातेदार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/201

अनवान हिम्मतराम बनाम मेहबूब खां

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को आवेदित रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी मेहबूब खां की ओर से वकील श्री जगतपालसिंह व अप्रार्थी फैंसीदेवी, श्रवणकुमार, लीला की ओर से वकील श्री मांगीलाल माली ने वकालतनामे पेश किये। वकील अप्रार्थीगण को जवाब हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजदू जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब अवसर बंद किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 949 रकबा 0.8100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार बाली द्वारा आवेदित व वैकल्पिक मार्ग बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में दोनों विकल्पों की लंबाई बराबर है। जिस कारण वैकल्पिक रास्ते के खसरा नंबर 959, 952 के खातेदारों की तलबी आवश्यकता नहीं है। जिससे प्रार्थी को खसरा नंबर 953 में से रास्ता देना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 949 रकबा 0.8100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 953 रकबा 0.9200 हैक्टर में से **510 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 531222/– रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
953	0.92	102X5=510 वर्गमीटर	54	27540X2=55080	मेहबूब खां पुत्र गनी खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा. देह खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 55080/– (अक्षरे पचपन हजार अस्सी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/1405-1409

दिनांक : 28-10-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू०अ० बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक हिम्मतराम पुत्र धनाराम जाति मेगवंशी निवासी बीजापुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

दिनांक : 06/08/2024 08:57:39 AM

...: पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बीजापुर

...हल्का : बीजापुर

ग्राम : बीजापुर

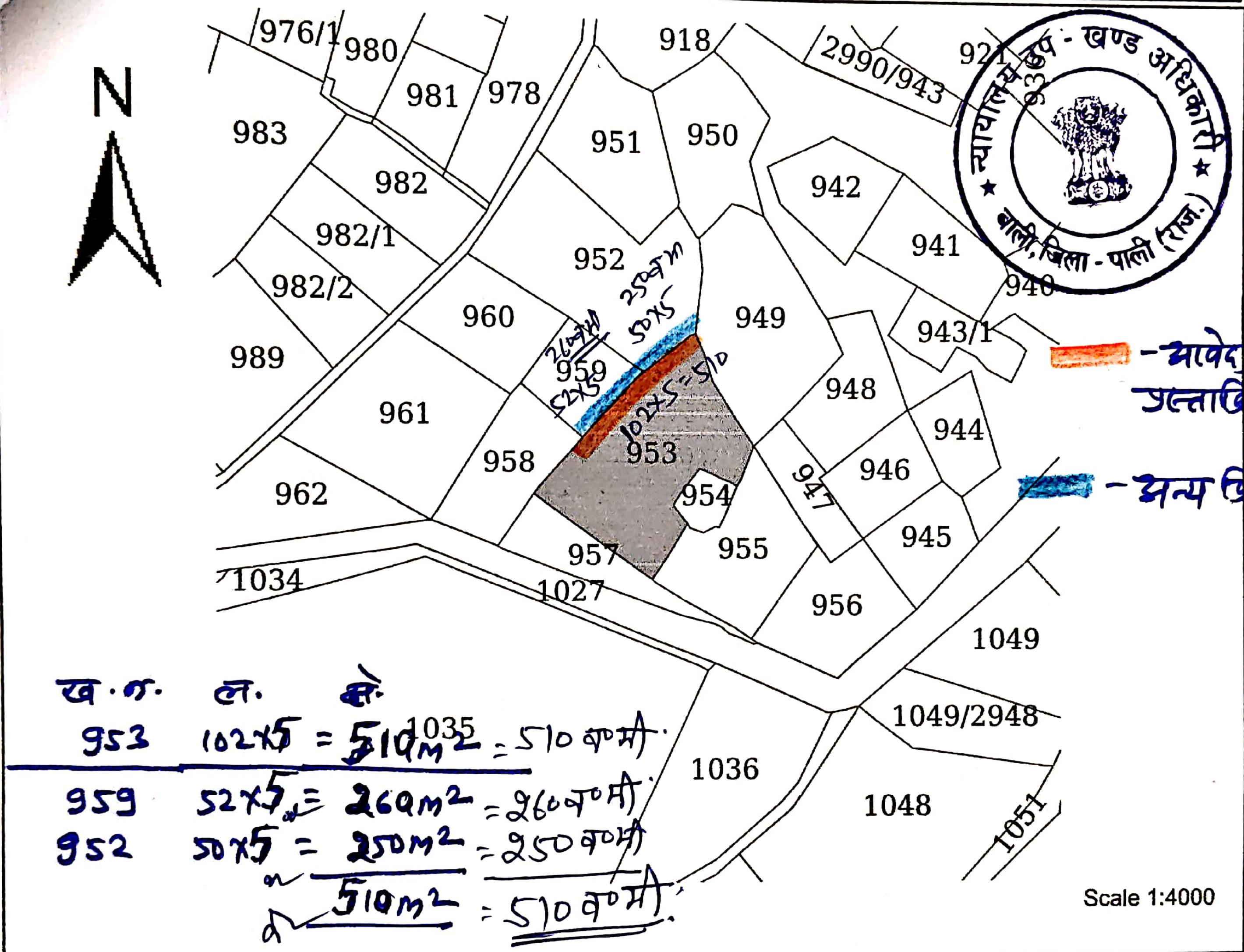

खसरा संख्या :953 क्षेत्रफल : 0.9200 Hectare खाता संख्या : 796पुराना खाता संख्या :792

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: नहरी दोयम [0.9200, 11.96]

1.) मेहबूबखां पुत्र गनीखां हिस्सा- पूर्ण जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार

तहसीलदार,बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

पटवारी बीजापुर
तहसील-बाली,जिला-पाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with OKEN Scanner